कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/ 66181/2022–23/ **दिनांक:** 18/4/23

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।

संस्था प्रधान,
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/
राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (समस्त)।

विषय:–स्थापित/रूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) /राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षण/प्रवेश कार्य संचालन सत्र 2023–24 के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि स्थापित/रूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2023–24 हेतु नवीन प्रवेश प्रक्रिया/शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिशा–निर्देश एवं समय–सारणी प्रेषित की जा रही है। उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विद्यालयों में लॉटरी प्रक्रिया द्वारा प्रवेश प्रारम्भ करते हुए कार्यवाही को पूर्ण पारदर्शी रूप से सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रवेश कार्यक्रम एवं दिशा–निर्देशों का क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक प्रचार–प्रसार करावें।

संलग्न:– उपर्युक्तानुसार।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/माध्य /मा–द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/ 66181/2022–23/ **दिनांक:** 18/4/23

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि), राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (छप्ब्), शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (समस्त सम्भाग)।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त जिले)।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा (समस्त जिले)।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा (समस्त ब्लॉक)।
12. **उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि. ,राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय विद्यालयों को शाला दर्पण पोर्टल पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रूप में प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित समयावधि में प्रवेश हेतु आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के Home Page के माध्यम से ऑनलाईन किए जा सके।**
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (महात्मा गांधी)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: स्थापित/नवरूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश ::

1. स्थापित/नवरूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2023–24 के लिये नवीन प्रवेश का कार्य दिनांक 03.05.2023 से प्रारम्भ किया जाना है।
2. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जिनमें प्री–प्राइमरी कक्षाएं एवं बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है उनमें कक्षा नर्सरी में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा एल.के.जी. से यू.के.जी. तक गत वर्ष स्वीकृत सीटों में से रिक्त हुई सीटों पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
3. पूर्व में सत्र 2022–23 तक स्थापित/संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा तथा शेष पूर्व सत्र में संचालित/स्वीकृत कक्षाओं में तक गत वर्ष स्वीकृत सीटों में से रिक्त हुई सीटों पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. पूर्व में सत्र 2022–23 तक स्थापित/संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों(अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में जहां कक्षा 1 से 5 / कक्षा 1 से 8 /कक्षा 1 से 9/कक्षा 1 से 11 का संचालन किया जा रहा था वहां सत्र 2023–24 में क्रमशः कक्षा 6/कक्षा 9 /कक्षा 10/कक्षा 12 अंग्रेजी माध्यम का संचालन किया जायेगा व उक्त कक्षाओ मे समस्त सीटों (नियमानुसार) पर नवीन प्रवेश दिया जायेगा।
5. वर्तमान में जिन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों(अंग्रेजी माध्यम)/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी माध्यम में संचालन किया जा रहा है उनमें कक्षा 11 में प्रवेश प्रक्रिया के लिये बाद में अलग से दिशा–निर्देश जारी किये जायेगे।
6. सत्र 2023–24 के लिए नवीन स्थापित/रूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कक्षा–01 से 05 में समस्त सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। नवीन स्थापित/रूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते हो, तो उन्हें नजदीक के हिन्दी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जायेगा और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक विद्यार्थी अपने अध्ययन को उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में नियमित रख सकेंगे। यानि इन नवीन रूपान्तरित विद्यालयों की कक्षा–01 में समस्त सीटों के लिए तथा कक्षा–02 से 05 में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों से सत्र 2023–24 में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प प्राप्त किया जावें तथा विकल्प में सहमति देने के उपरान्त शेष रही सीटों के लिए प्रवेश, प्राप्त आवेदन पत्रों में से किया जा सकेगा। यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या शेष रही सीटों से अधिक है तो प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया अपना कर किया जाएगा।
7. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किये गये हैं। कक्षा–01 से 05 तक 30 विद्यार्थी प्रति सैक्शन, कक्षा 6 से 8 में 35 विद्यार्थी प्रति सेक्शन, कक्षा 9 से 12 में 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन निर्धारित रहेंगे।
8. इन विद्यालयों में प्रवेश सैक्शन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही दिया जा सकेगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया अपना कर किया जायेगा।
9. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं.4(15) शिक्षा–1/2022 जयपुर दिनांक 16.07.2022 की पालना में भामाशाह द्वारा गोद लेकर 50 लाख रूपये से अधिक राशि के कार्य करवाए गए हैं अथवा सम्पूर्ण विद्यालय भवन निर्मित कर जिसमें 50 लाख रूपये से अधिक राशि का व्यय हुआ हैं, दान दिया गया है। ऐसे भामाशाहों की अभिशंषा पर संबंधित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 2 एवं सम्पूर्ण विद्यालय में प्रतिवर्ष अधिकतम 10 विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रवेश कोटा निर्धारित किया गया है। यह कोटा उक्त विद्यालयों में संचालित कक्षाओं की निर्धारित सीटों के अतिरिक्त सीटों के लिए होगा।
10. इन विद्यालयों में प्रति सैक्शन निर्धारित सीटों व उपरोक्तानुसार (क्र.स–10) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के कोटे का प्रावधान नहीं रखा गया हैं।
11. प्रवेश सम्बन्धी कार्य पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता से निष्पादित करवाये जाने हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा जहॉं प्रधानाचार्य नहीं है, वहॉं वर्तमान पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान उक्त कार्य करेंगे।
12. स्थापित/रूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र 2023–24 के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (शैक्षिक प्रकोशठ) नोडल अधिकारी होगें तथा ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय (ACBEO-II) नॉडल अधिकारी होगें, जिनकी देखरेख में प्रवेश कार्य सम्पादित किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय का पद रिक्त होने की स्थिति में वहां यह कार्य सन्दर्भ व्यक्ति (आर.पी.) द्वितीय करेगें।

13. सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की पारदर्शी तरीके से लॉटरी निकालकर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसे संलग्न समय–सारिणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पां किया जाएगा, जिससे भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों को पूर्ण पारदर्शिता से भरा जा सके।

14. प्रवेश हेतु आवेदन विद्यालय समय में व्यक्तिशः अथवा शाला दर्पण पोर्टल के होम पेज के माध्यम से ऑनलाईन किये जा सकेंगे।

15. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा./माध्य./मा–द./अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/66181 /2022–23/112 दिनांक 16.07.2022 की पालना में रूपांतरित विद्यालय में पूर्व अध्ययनरत विद्यार्थियों में से उसी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययनरत रहने का विकल्प देने वाले सभी विद्यार्थी उसी रूपातंरित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपना अध्ययन नियमित रख सकेंगे।

16. **प्रवेश कार्यक्रम हेतु समय सारणी :–**

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित तिथि/समयावधि
1	विज्ञप्ति जारी करना	03.05.2023
2	प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लेने की समयावधि	04.05.2023 से 09.05.2023
3	प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना	11.05.2023
4	लॉटरी निकालने की तिथि	12.05.2023
5	लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	13.05.2023
6	प्रवेश कार्य	15.05.2023 से
7	शिक्षण प्रारम्भ	01.07.2023

संलग्नः– आवेदन पत्र का प्रारूप।

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

NAME OF SCHOOL: ____

Admission Application Form For Session: 2023-24

COLOUR PHOTO SIZE 3.5 C.M. X 2.5 C.M.

1. **NAME OF THE STUDENT:-**..
2. **FATHER'S NAME:-** ....
3. **MOTHER'S NAME:-** ....
4. **DATE OF BIRTH:-**
   - **In Number**..
   - **In Words**..
5. **AGE AS ON THE DATE OF ADMISSION** ....YEAR .... MONTH .... .DAY.
6. **RELIGION:-**...
7. **CATEGORY:-**..............................(GEN/ OBC/ MBC/SC/ST/
8. **GENDER:-**......................(MALE/ FEMALE/ TRANSGENDER)
9. **RESIDENTIAL ADDRESS (LOCAL)** ....

   ....

10. RESIDENTIAL **ADDRESS (PERMANENT)**

    ....

    ....

11. PARENTS CONTACT **NUMBER:-** 1. .... 2..................... ....
12. **EMAIL ID:-** ....
13. **OCCUPATION OF FATHER / MOTHER**.. ...
14. **MONTHLY INCOME OF FATHER / MOTHER** ....
15. **NAME AND ADDRESS OF GUARDIAN (IF ANY)** ....

    ....

16. **STUDENT'S ADHAR CARD N0.** | | | | | | | | | | | | |

17. CWSN STATUS :- -............ (YES/NO)

    (CWSN- CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS)

    IF YES: .... TYPE OF DISABILITY..

18. **CO-CURRICULAR ACTIVITIES:**........... (NONE/NCC/SCOUT/GUIDE/NSS/CUB/BULBUL)
19. **SPORTS CERTIFICATE:-**....... .... (NATIONAL/ STATE LEVEL/DISTRICT LEVEL)
20. **STUDENT'S BANK ACCOUNT DETAIL :-**
    - NAME OF BANK......................................BRANCH.........
    - ACCOUNT NUMBER ....IFSC CODE ....

21. CLASS TO WHICH **ADMISSION IS SOUGHT:** - ....
22. THIRD LANGUAGE (CLASS 6^{TH} TO 8^{TH}):-...

23. **DETAIL OF LAST SCHOOL/CLASS STUDIED**

- NAME OF THE SCHOOL ....
- WHETHER IT IS GOVT. /KV/JNV/RECOGNIZED PRIVATE... (YES/NO)
- FORMER SCHOOL'S S.R. NUMBER:-..................SHALA DARPAN CODE (ONLY FOR GOVT.SCHOOLS):......................
- FORMER SCHOOL'S LAST CLASS:-................
- LAST CLASS RESULT: ....(PASS / FAIL/ STUDYING)

ENCLOSURES:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

DECLARATION BY THE PARENT

I HEREBY DECLARE THAT THE ABOVE INFORMATION FURNISHED BY ME IS CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE. I SHALL BE ABIDED BY THE RULES OF SCHOOL ALSO. THE DATE AND OTHER PARTICULARS FURNISHED BY ME IN RESPECT TO MY WARD .... ARE CORRECT. .

DATE

SINGNATURE OF PARENT

FOR OFFICE USE ONLY

1. CERTIFIED THAT I HAVE CHECKED THE APPLICATION FORM AND RELEVANT DOCUMENTS ARE FOUND IN ORDER.
2. PLEASE ADMIT TO CLASS .... SECTION.......................................
3. ALLOTED S.R. NO................

SINGNATURE OF ADMISSION INCHARGE

SINGNATURE OF CLASS TEACHER

SINGNATURE OF PRINCIPAL